राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
40/15	12.05.2015	23.08.2018

अनुवान

1. मातादीन
2. हरिसिंह पुत्रान सल्लाराम जाति चमार
3. विजेन्द्र पुत्री अमीलाल पुत्र सल्लाराम जाति चमार
4. सूण्डा
5. जगना पुत्रान रिछपाल जाति चमार
6. संतरा देवी बेवा ओमप्रकाश जाति चमार
7. कंवर सिंह
8. दीपचन्द पुत्रान धान्धू जाति चमार.
9. सादविलास पुत्र रामजीलाल जाति चमार

10 महेन्द्र
11 देवकरण
12 सुखाराम पुत्रान बुधाराम जाति बाल्मिक
13 प्रकाश पुत्र सोमदत्त जाति भंगी निवासीयान बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर
2. तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

दावा–धारा 88,89,188 आर0टी0ए0

उपस्थितिः–

1. **श्री सरजीत सिंह यादव, वकील वादीगण।**

–::निर्णय::–

दिनांकः– 23.08.2018

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0न0 310 मिन रकबा 10 बीघा वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर में स्थित होकर उक्त रकबा सन् 1975 में मिनवादीगण के नाम अलॉट किया गया था जिसका अंकन घटना बही दिनांक 04.09.1977 को

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

ॲलोटीज को मौके पर ख0न0 310 के स्थान पर 470 में हल चलाकर कब्जा दिया गया था। आराजी ख0न0 310 पर मिनवादीगण मौके पर काबिज नहीं है। जबकि मौके पर मिनवादीगण को ख0न0 470 में कब्जाकाश्त कराया गया था। वादीगण का कब्जा ख0न0 470 जो कि चारागाह की भूमि है तथा सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को आवंटित होते हुये भी अतिक्रमी मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती रही है। वादीगण आवंटियों को आवंटित भूमि के बजाय अन्य दीगर ख0न0 का कब्जा दे दिया जाता है या आवंटित द्वारा अन्य ख0न0 पर कब्जाकाश्त होने और नियमानुसार 10 साल लगातार जोत बाह करने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। वादीगण काश्तकार निरंतर भू राजस्व पेनल्टी भी जमा कराते रहे है। जब कब्जा दिया तो ख0न0 310 के स्थान पर 470 पर कब्जा दे दिया तथा जब जमाबंदी राजस्व रिकार्ड बना तो उसमें मिनवादीगण के नाम का अंकन नहीं हुआ। ऐसे काश्तकार को कब्जे के आधार पर रिकार्ड में नाम अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। आराजी ख0न0 470 से वादीगण का कब्जा वापिस लेकर सरकार अपने कब्जे में उक्त भूमि को लेना चाहते है। जिस हेतु पूर्व में कार्यवाही की गई तथा अब माह मार्च 2015 में धमकी दी गई। यदि वाकई में प्रतिवादीगण ने मिनवादीगण की अलॉटशुदा आराजी ख0न0 470 पर कब्जा वापिस ले लिया तो मिनवादीगण को अजहद क्षति होगी तथा नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए मिनवादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है एवं ख0न0 310 के बजाय 470 पर कब्जा दिया गया था जो गलती सरकार द्वारा की गई। इसलिए मिनवादीगण राजस्व रिकार्ड में अपने आप को ख0न0 470 रकबा 2.55 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर रिकार्ड में अमल दरामद कराने के अधिकारी है का निवेदन करते हुए वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय की जारी की जावे कि आराजी ख0न0 310 के स्थान पर मिनवादीगण को ख0न0 470 रकबा 2.55 है0 वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे व प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो मिनवादीगण को जबरन बेदखल ना करें, ना ही कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किये जाने पर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वाद पत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2067–70 प्रदर्श–1, नकल खसरा परिवर्तनशील संवत 2064 वर्ष 2007 प्रदर्श–2 एवं नकल घटना बही वर्ष 1977 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र सादविलास पी0डब्लयू–1, बलबीर पी0डब्लयू–2, हनुमान पी0डब्लयू–3, माडूराम पी0डब्लयू–4 पेश किए। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादीगण के वाद पत्र के जिम्मनो को दोहराते हुए आराजी ख0नं0 310 के स्थान पर आराजी ख0नं0 470 रकबा 2.55 है0 वाके ग्राम बावद तह0 मुण्डावर के बाबत का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किए जाने उपरान्त विधित हुआ कि वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का वादीगण को ख0नं0 310 के बाबत का आवंटन व उक्त ख0नं0 310 के बजाय अन्य ख0नं0 470 पर कब्जा दिलाये जाने के बाबत का सक्षम अधिकारी द्वारा कोई भी आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे कि यह माना जा सके कि वादीगण को कोई आराजी आवंटन हुई थी अथवा नहीं और बाद आवंटन ख0नं0 310 के बजाए ख0नं0 470 पर कब्जा दिये जाने के आदेश हुए हो। इस प्रकार से वादीगण अपने वादपत्र को साबित करने में पूर्ण रूपेण असफल रहे है। इस प्रकार यह न्यायालय वादीगण के चारागाह भूमि के बाबत के वाद को जो भूमि चारागाह भूमि होकर राजकीय भूमि है, के बाबत काबिल अस्वीकार पाता है।

आदेश

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में ख0नं0 310 के स्थान पर ख0नं0 470 रकबा 2.55 है0 वाके ग्राम बावद तह0 मुण्डावर, जिला अलवर के बाबत का वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/8

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
40/15	12.05.2015	23.08.2018

अनुवान

1. मातादीन
2. हरिसिंह पुत्रान सल्लाराम जाति चमार
3. विजेन्द्र पुत्री अमीलाल पुत्र सल्लाराम जाति चमार
4. सूण्डा
5. जगना पुत्रान रिछपाल जाति चमार
6. संतरा देवी बेवा ओमप्रकाश जाति चमार
7. कंवर सिंह
8. दीपचन्द पुत्रान धान्धू जाति चमार.
9. सादविलास पुत्र रामजीलाल जाति चमार
10 महेन्द्र
11 देवकरण
12 सुखाराम पुत्रान बुधाराम जाति बाल्मिक
13 प्रकाश पुत्र सोमदत्त जाति भंगी निवासीयान बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर
2. तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

दावा–धारा 88,89,188 आर0टी0ए0

वादीगण की ओर से **श्री सरजीत सिंह यादव** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 23.08.2018 को **साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि– ख0नं0 310 के स्थान पर ख0नं0 470 रकबा 2.55 है0 वाके ग्राम बावद तह0 मुण्डावर, जिला अलवर के बाबत का वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 23.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

23/8/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner